

आदेश
मेरि लिपि

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रेमो पिटीसन वाद सं० ५६ / २०२०-२१

अंचल अधिकारी, मसलिया.....	आवेदक
बनाम	
बाबुराम मुर्मू.....	विष्की
<u>आदेश</u>	

२.१०.२०२१

यह रेमो पिटीसन वाद मौजा-भेलादाहा थाना नं०-४० खाता नं०-३४/०३ दाग सं०-४३८,४५० रक्वा-०.५४ एकड़ किस्म झाड़ी जंगल गैर-मजरूआ खास भूमि का BLR Act, 1950 की धारा ४(h) के अन्तर्गत बाबुराम मुर्मू के नाम से संधारित जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा के साथ अपर समाहर्ता, दुमका द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त भूमि पर कायम संदेहात्मक जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका, भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका तथा अंचल अधिकारी, मसलिया द्वारा भी की गई है।

वाद की संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:- झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-२०७४/रा०, दिनांक-१३.०५.२०१६ सह पठित श्री अनुप मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह- विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक-०३ खा०म०नीति ११९ / ८५ / २३०८ / रा० दिनांक-०३.०९.१९८५ एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं०-९१४ / रा० दिनांक-०९.१२.१९९८ में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की संधारित की गई जमाबंदियों की जाँच के क्रम में अंचल अधिकारी, मसलिया द्वारा मौजा-भेलादाहा थाना नं०-४० खाता नं०-३४/०३ दाग सं०-४३८,४५० रक्वा-०.५४ एकड़ किस्म झाड़ी जंगल गैर-मजरूआ खास भूमि जिसकी जमाबंदी बाबुराम मुर्मू के नाम से पंजी II के VOI सं०-०१ पृष्ठ सं०-३५ पर संधारित है, संदिग्ध पाई गई। जमाबंदी में सक्षम प्राधिकार का आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, मसलिया द्वारा अवैध संदेहात्मक संधारित जमाबंदी को BLR Act, 1950 की धारा ४(h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका

को दी गई। उक्त आदेश को भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका, अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका तथा अपर समाहर्ता दुमका द्वारा अनुशंसा किया गया है।

BLR Act, 1950 की धारा 4(h) के प्राक्षयन निम्नवत है :-

The Collector shall have power to make inquiries in respect of any transfer including the settlement or lease of any land comprised in such estate or tenure or the transfer of any kind of interest in any building used primarily as office or cutchery for the collection of rent of such estate or tenure or part thereof, [***] and if he is satisfied that such transfer was made [at any time after the first day January, 1946, with the object of defeating any provisions of this Act or causing loss to the State or obtaining higher compensation thereunder the Collector may, after given reasonable notice to the parties concerned to appear and be heard [***] annul such transfer, dispossess the person claiming under it and take possession of such property on such property on such terms as may appear to the Collector to be fair and equitable :]

[Provided that an appeal against an order of the Collector under this clause if preferred within sixty days of such order, shall lie to the prescribed authority not below the rank of the Collector of a district who shall dispose of the same according to the prescribed procedure:]

Provided further that no order of annulling a transfer shall take effect nor shall possession be taken in pursuance of it unless such an order has been confirmed by the State Government.]

हल्का राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी, मसलिया द्वारा जाँच प्रतिवेदन में निम्न तथ्य प्रकाशित किया गया है :-

अंचल अधिकारी, मसलिया का पत्रांक-364/रा०, दिनांक-12.07.2019 के द्वारा बी०एल०आर०एकट० 1950 की धारा-4(h) के तहत् अवैध जमाबंदी रद्द करने हेतु अभिलेख सं०-47/2016-17 प्राप्त हुआ है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र०	मौजा का नाम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा (एकड़)	किस्म जमीन
1.	भेलादाहा	40	34/03	438/450	0.54 एकड़	झाड़ी जंगल

प्रतिवादी बाबुराम मुर्म सा०-भेलादाहा, थाना-मसलिया के नाम पर सृजित जमाबंदी में जाँचोपरांत निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं।

- (1) जमाबंदी सृजित करने संबंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया।
- (2) लगान निर्धारण/जमीदार से प्राप्त संबंधी पट्टा/सादा हुकुमनामा आदि कागजात नहीं पाया गया।
- (3) बंदोबस्ती पट्टा भी नहीं पाया गया और न ही प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वर्णित जमाबंदी बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही सृजित कर दी गई है, जो अवैध है।

अतः अंचल अधिकारी, मसलिया के अनुशंसा के आलोक में मौजा-भेलादाहा थाना नं०-40 खाता नं०-34/03 दाग सं०-438,450 रकवा-0.54 एकड़ किस्म झाड़ी जंगल भूमि जो प्रतिवादी बाबुराम मुर्म के नाम पर पंजी-II में दर्ज है, को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा-4(h) के तहत किया गया कायम जमाबंदी की रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

विपक्षी द्वारा नोटिश तामिला होने के बावजूद न तो लिखित बहस दाखिल किया गया और न ही अपना पक्ष रखा गया।

विचारण व निर्णय

सरकारी अधिवक्ता, दुमका के पक्ष को सुनने एवं सम्पूर्ण अभिलेख के साथ संलग्न कागजात के अवलोकन से निम्न तथ्य स्पष्ट होता है कि :-

- (1) प्रसंगाधीन भूमि का खाता बिहार (झारखण्ड) एवं किस्म जमीन झाड़ी जंगल है।

(2) जमाबंदी सुजित करने संबंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया।

(3) लगान निर्धारण/जमींदार से प्राप्त संबंधी पट्टा/सादा हुकुमनामा आदि कागजात नहीं पाया गया।

(4) बंदोबस्ती पट्टा भी नहीं पाया गया और न ही प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा, भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका एवं अपर समाहर्ता, दुमका द्वारा प्रश्नगत संदेहात्मक/अवैध जमाबंदी को बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द करने योग्य बताया गया है, परन्तु प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि उक्त प्रकृति भूमि की बंदोबस्ती नियमानुसार संभव नहीं है। ऐसे में धारा-4(h) के अन्तर्गत कार्रवाई समुचित नहीं प्रतीत होती है। अपितु यह मामला प्रथम दृष्ट्या Jharkhand Public Land Encroachment Act 2000 के अन्तर्गत आच्छादित प्रतीत होता है। यदि उपरोक्त भूमि के संबंध में रजिस्टर-2 में इंट्री है तथा उक्त का पर्चा निर्गत किया गया है तो उक्त की आधार की जाँच की आवश्यकता है तथा संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों को भी चिन्हित करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त परिस्थिति में उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रतिवेदन तथा बहस के क्रम में यह प्रतीत होता है कि संभवतः वर्णित मामले में किसी प्रकार की जमाबंदी स्थापित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी सरकारी (झाड़ी जंगल) भूमि के Possession में है, परन्तु उस Possession का उनके पास कोई वैद्य आधार नहीं है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में जमाबंदी कायम होने का उल्लेख है, परन्तु तत्संबंधी विवरणी यथा वर्ष तथा लगान भुगतान के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। ज्ञातव्य है कि Section 4(h) के अन्तर्गत केवल उस प्रकार के 'Transfer' की जाँच की जा सकती है, जो सन् 1946 के बाद हो, जबतक यह ascertain नहीं होता है कि वर्णित भूमि आवेदक को कैसे प्राप्त हुई, किस वर्ष में प्राप्त हुई, तथा कब्जे का आधार क्या है, Section 4(h) के अन्तर्गत निर्णय उचित नहीं होगा।

आदेश

उपरोक्त विचारणीय तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के गहन अध्ययन एवं सूक्षम अवलोकनोपरांत विहार/ झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) का application स्थापित नहीं हो पाती है। ऐसे में अभिलेख वापस अंचल अधिकारी के पास इन बिन्दुओं पर प्रतिवेदन के आधार पर अभिलेख पर Jharkhand Public Land Encroachment Act 2000 के सुसंगत प्रावधानों तथा अन्य प्रासंगिक अधिनियमों/प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्रवाई हेतु इस निर्देश के साथ भेजी जाती है कि अंतिम निर्णय के पूर्व अंचल अधिकारी यह जाँच कर ले कि :-

(1) वादी को भूमि का कब्जा/कथित अधिकार किस वर्ष में तथा

किस प्रक्रिया से प्राप्त हुआ है ?

(2) क्या वादी के पक्ष में जमाबंदी स्थापित है ? यदि हाँ तो

कब से ?

(3) क्या वादी के द्वारा लगान भुगतान किया गया है ? यदि हाँ

तो किस अवधि में ?

(4) क्या उपरोक्त मामला अतिक्रमण का है, अथवा वादी के उक्त

भूमि पर कब्जे का कोई वैधानिक आधार है ?

अभिलेख प्राप्ति के दो सप्ताह के अंदर अंचल अधिकारी उक्त प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे। कार्रवाई के क्रम में वन विभाग से भी अभिलेख/भूमि के प्रकृति के संबंध में प्रतिवेदन अवश्यक प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

१०/१-

उपायुक्त,
दुमका।

१०/१-

उपायुक्त,
दुमका।